



न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजगढ (म.प्र.)

क्र./४५५३/एस.डब्ल्यू/२०२०

राजगढ दिनांक ०७.०८.२०२०

॥ आदेश ॥

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्र. ४०-३/२०२०-डीएम-।(ए) दिनांक ३०.०५.२०२० तथा गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. १८९/२०२०/सी-२ दिनांक ३१.०५.२०२० एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. २०४/२०२०/सी-१ दिनांक ०९.०७.२०२० एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. २०६/२०२०/सी-१ दिनांक १४.०७.२०२० एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. २१०/२०२०/सी-१ दिनांक २०.०७.२०२० एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. २१८/२०२०/सी-२ दिनांक ०६.०८.२०२० में प्रदत्त निर्देशों के तहत मैं नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ, दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १४४ (५) के अंतर्गत प्रसारित आदेश क्र./७८४५/एस.डब्ल्यू/२०२०/दिनांक २२.०७.२०२० में निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित करता हूँ :-

1. जिले में रविवार के दिन विभिन्न शहरों/कस्बों में अनावश्यक भीड़ हो जाती है तथा कोविड-१९ के संबंध में आवश्यक सावधानियां नहीं बरती जा रही है। अतः राजगढ जिले में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक बाजार बंद रहेंगे।
2. जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि १०:०० बजे से प्रातः ०५ बजे तक लागू किया जाता है।
3. शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियों नहीं हैं और न ही यह संभव है इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भादवि की धारा १८८ के अंतर्गत कार्यवाही संपादित की जावेगी। यह आदेश आज दिनांक ०७.०८.२०२० से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला राजगढ (म.प्र.)

राजगढ दिनांक ०७/०८/२०२०

पृ.क्र./४५५५/एस.डब्ल्यू/२०२०

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक राजगढ की ओर प्रेषित कर लेख है कि, समस्त थाना प्रभारी को अपने स्तर से निर्देशित करें।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला राजगढ की ओर पालनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ की ओर पालनार्थ।
7. तहसीलदार/ना.तहसीलदार/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) जिला राजगढ की ओर पालनार्थ।
8. सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग राजगढ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला राजगढ (म.प्र.)